REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 11 | ISSUE - 4 | JANUARY - 2022

माध्यमिक स्तर पर भाषा एवं सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों की पाठ्यसामग्री में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों एवं विकलांगों के प्रतिनिधित्व का अध्ययन

मनीष कुमार हुरमाडे[1] , प्रो. एस.के. त्यागी[2]
[1]शोधार्थी (शिक्षा), देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर.
[2]भूतपूर्व विभागाध्यक्ष व संकायाध्यक्ष (शिक्षा), देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर.

1.1 परिचय :–

किसी भी राष्ट्र या समाज का विकास उनसे सम्बन्धित व्यक्तियों के विकास पर ही निर्भर करता है। भारतीय समाज की संरचना में कई धर्म, जातियाँ, वर्ग तथा सम्प्रदाय आते हैं। अतः हमारी शिक्षा इन विभिन्न धर्मों, जातियों, वर्गों तथा सम्प्रदायों के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली होनी चाहिए। स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा प्रक्रिया में कई परिवर्तन हुए हैं। वर्तमान में देश की जनसंख्या में कुछ ऐसे समूह या वर्ग भी हैं, जिनकी शिक्षा व्यवस्था हेतु सरकार भी प्रायः चिन्तित होकर विशेष प्रयास करती है, जैसे– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, महिलाएँ व विकलांग आदि। उक्त वर्गों को शिक्षा सुलभ कराने हेतु सरकार द्वारा हर स्तर पर कई प्रयास किए जा रहे हैं जैसे– छात्रवृत्ति प्रदान करना, शुल्क मुक्त प्रवेश, पाठ्यपुस्तके, गणवेश व साइकिलें प्रदान करना, मध्यान्ह भोजन प्रदान करना, समावेशी शिक्षा (Inclusive education) आदि। साथ–साथ, सरकार समय–समय पर शिक्षा की नीतियों में सुधार व नई नीतियों के निर्माण के प्रयास भी करती है, जिसके प्रमाण हमें कोठारी आयोग (1964–66), राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NPE) 1986 तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 से मिलते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ सांवैधानिक प्रावधान भी हैं, जैसे–धारा 29(2), धारा 30(1), धारा 30(2), धारा 45 तथा धारा 46 में शिक्षा संस्था में प्रवेश, अल्पसंख्यकों, सरकारी सहायता, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा तथा राज्य के कमजोर वर्ग के आर्थिक एवं शैक्षिक विकास के संदर्भ में राष्ट्रीय नीतियों का उल्लेख किया गया है।

उपर्युक्त सारे प्रयास विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति आकर्षित करने हेतु अपर्याप्त हैं यदि शिक्षा की विषय–वस्तु में भी इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है ताकि राष्ट्र का प्रत्येक वर्ग उससे जुड़ा हुआ महसूस करें, अपनत्व की भावना के साथ शिक्षा ग्रहण करें एवं अभिप्रेरित हो सके। दूसरे शब्दों में शिक्षा की विषय–वस्तु उक्त वर्गों की आवश्यकताओं व विशेषताओं से सम्बन्धित होनी चाहिए। प्रस्तुत शोध माध्यमिक स्तर पर भाषा एवं सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों व विकलांगों की स्थिति जानने के लिए नियोजित किया गया है, जिसमें मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक स्थायी समिति द्वारा अनुमोदित व मध्यप्रदेश राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा प्रकाशित म.प्र. की कक्षा 6ठी से 8वीं तक की सामाजिक विज्ञान व हिन्दी भाषा(भाषा भारती) की पाठ्यपुस्तकों को शामिल किया गया।

1.2.अध्ययन का औचित्य :–

शिक्षा प्रदान करने के साधन के रूप में पाठ्यपुस्तकों का स्थान सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें विषयवस्तु का व्यवस्थित संकलन कर विद्यार्थियों को अध्यापन कराया जाता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के महत्त्व को देखते हुए यह आवश्यक है, कि पाठ्यपुस्तकों में संकलित विषयवस्तु देश के सभी धर्मों, जातियों, वर्गों व सम्प्रदायों आदि का प्रतिनिधित्व करें। चूंकि समाज की जाति, धर्म, वर्ग, सम्प्रदाय व संस्कृति आदि की विशेषताओं पर आधारित विषयवस्तु सामाजिक विज्ञान व भाषा से सम्बन्धित विषयों के अन्तर्गत समाहित की जाती है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग की जनसंख्या के आधार पर भारत में अनुसूचित जाति, जनजाति बाहुल्य प्रदेश में इनकी संख्या 30 प्रतिशत है, इसी आधार पर विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या भी होगी। अतः हम कह सकते हैं कि यदि शिक्षा गाँव व समाज के एक बड़े हिस्से की संस्कृति, भाषा, रहन–सहन, इतिहास के अनुरूप नहीं होगी तो इसके कारण इन वर्गों के विद्यार्थी आत्मिक एवं स्वरूचि से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पायेंगे। इस समस्या का समाधान करने के लिये शिक्षा एवं शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत पाठ्यपुस्तकों की विषयवस्तु में इन वर्गों का समावेश कितना है? और कितना होना चाहिए? इसका पता लगाकर इसमें सुधार करना अति आवश्यक है।

इसी प्रकार विकलांग वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के सरोकारों का भी ध्यान पाठ्यपुस्तकों की विषयवस्तु में रखा जाना अतिआवश्यक है। विद्यालय में उपस्थित सामान्य विद्यार्थियों के साथ–साथ अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक एवं विकलांग वर्ग के विद्यार्थियों के परिप्रेक्ष्य के अनुसार भी विद्यालयीन पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों में विषयवस्तु का होना बेहद जरूरी है। क्योंकि इन विशेष वर्गों एवं विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक गाँव तक विशेष विद्यालय नहीं खोले जा सकते हैं। इसके बजाय सामान्य विद्यालयों में ही उनके अनुरूप संसाधनों का उपयोग कर प्रत्येक गाँव के इन सभी वर्गों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है।

अतः भाषा एवं सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों का विश्लेषणात्मक अध्ययन आवश्यक है, ताकि विदित हो सके कि– क्या वास्तव में पाठ्यपुस्तकें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक व विकलांग वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है? यदि करती है तो किस सीमा तक? आदि जानने हेतु इस अध्ययन की आवश्यकता प्रतिपादित होती है।

पाठ्यपुस्तकों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, महिलाओं, मूल्यों व मूल्यांकन आदि पर कई शोध हो चुके हैं जैसे–गुप्ता(1980) ने मुस्लिम एवं शैक्षिक अवसरों की समानता पर, कादरी(1981) ने उत्तरप्रदेश के पीलीभीत जिले के मुस्लिम समुदाय द्वारा शैक्षिक अवसरों की पर्याप्तता एवं उपयोगिता पर, सिंह(1981) ने वाराणसी के शैक्षिक क्षेत्र में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् अनुसूचित जाति के शैक्षिक विकास एवं आवश्यकताओं पर, शर्मा(1985) ने प्राथमिक स्तर पर विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं भाषा की पाठ्य पुस्तकों में उपयोग की गयी भाषा की व्यापकता पर, भार्गव(1988) ने राजस्थान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की शैक्षिक सुविधाओं पर, पिपरइया(1989) ने भाषा एवं सामाजिक अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में महिलाओं की स्थिति पर, दाहिया(1990) ने अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों का इतिवृत्यात्मक अध्ययन पर, खाण्डेकर(1991) ने नागपुर में महाविद्यालयों में स्नातक स्तर की हिन्दी पाठ्यपुस्तकों में शैक्षिक मूल्यों पर, सिंह (2002) ने भाषा एवं सामाजिक अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में महिलाओं की स्थिति पर, एस्के (2007) ने मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा निर्धारित हिन्दी पाठ्यपुस्तकों में मूल्योंन्मुखता पर, कोरी (2008) ने मध्यप्रदेश पाठय पुस्तक निगम द्वारा निर्धारित इतिहास की पाठ्यपुस्तकों का मूल्यांकन (पूर्व माध्यमिक स्तर के संदर्भ में) पर तथा वर्मा (2012) ने मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा अनुशंसित कक्षा 9वीं की विज्ञान विषय की पाठ्यपुस्तक का शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर मूल्यांकन पर शोध कार्य किए।

उपर्युक्त सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन से विदित होता है कि– भाषा, सामाजिक अध्ययन व अन्य पाठ्यपुस्तकों में महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की स्थिति, अल्पसंख्यकों मूल्यांकन तथा तुलनात्मक अध्ययन आदि पर सीमित शोध कार्य हो चुके हैं किन्तु "माध्यमिक स्तर पर भाषा एवं सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों की पाठ्यसामग्री में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों एवं विकलांगों के प्रतिनिधित्व का अध्ययन" पर वर्तमान तक कोई ठोस शोध कार्य नहीं हो पाया। अतः उक्त शीर्षक पर शोर्ध कार्य करने की आवश्यकता प्रतिपादित हुई।

1.3 समस्या कथन :–

प्रस्तुत अध्ययन का कथन निम्नानुसार था–

माध्यमिक स्तर पर भाषा एवं सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों की पाठ्यसामग्री में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों एवं विकलांगों के प्रतिनिधित्व का अध्ययन

1.4 उद्देश्य :–

प्रस्तुत अध्ययन के निम्न उद्देश्य थें –

1. माध्यमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तकों की पाठ्यसामग्री में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों एवं विकलांगों के प्रतिनिधित्व का अध्ययन करना।
2. माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों की पाठ्यसामग्री में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों एवं विकलांगों के प्रतिनिधित्व का अध्ययन करना।

1.5 शोध परिसीमन–

प्रस्तुत शोध की परिसीमाएं निम्न थीं–

1. पाठ्यपुस्तकों के विश्लेषण हेतु मध्यप्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, भोपाल तथा मध्यप्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र, भोपाल द्वारा प्रकाशित कक्षा 6ठी, 7वीं व 8वीं की हिन्दी व सामाजिक– विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों का विश्लेषण किया गया।
2. पाठ्यपुस्तकों के विश्लेषण हेतु कक्षा 6ठी, 7वीं व 8वीं में सत्र 2018–19 के दौरान पढ़ाई गई हिन्दी व सामाजिक–विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों का उपयोग किया गया है।

1.6 प्रदत्त–संकलन विधि

प्रस्तुत शोध में प्रदत्त संकलन हेतु शोधार्थी द्वारा सर्वप्रथम शोध हेतु चयनित मध्यप्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, भोपाल तथा मध्यप्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र, भोपाल द्वारा प्रकाशित हिन्दी व सामाजिक–विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों का गहन अध्ययन किया गया। तत्पश्चात क्रमशः पाठ्यपुस्तकों की पाठ्यसामग्री में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों एवं विकलांगों के प्रतिनिधित्व से संबंधित प्रदत्त संकलित किये गये।

1.7 प्रदत्त–विश्लेषणः

प्रस्तुत शोध में माध्यमिक स्तर पर भाषा एवं सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों की पाठ्यसामग्री में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों एवं विकलांगों के प्रतिनिधित्व से संबन्धित प्रदत्त विश्लेषण के लिए आवृत्ति व प्रतिशत का उपयोग किया गया।

1.8 परिणाम एवं विवेचना

प्रस्तुत शोध से संबन्धित परिणाम व विवेचना उद्देश्यवार नीचे प्रस्तुत की गई है –

1.8.1 माध्यमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तकों की पाठ्यसामग्री में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों एवं विकलांगों का प्रतिनिधित्व–

प्रस्तुत शोध का प्रथम उद्देश्य था–'माध्यमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तकों की पाठ्यसामग्री में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों एवं विकलांगों के प्रतिनिधित्व का अध्ययन करना।' इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु शोधार्थी द्वारा मध्यप्रदेश में माध्यमिक स्तर की कक्षा 6वीं, 7वीं व 8वीं में सत्र 2018-19 के दौरान पढ़ाई गई हिन्दी की पाठ्यपुस्तकों का विश्लेषण किया गया। तालिका 1.1 में नीचे कक्षा 6वीं, 7वीं व 8वीं की हिन्दी की पाठ्यपुस्तकों की पाठों की विषयवस्तु में वर्णित विभिन्न पात्रों की कक्षा, वर्ग व लिंगवार आवृत्ति व प्रतिशत प्रस्तुत किया गया है–

तालिका 1.1 कक्षा, वर्ग व लिंगवार हिन्दी विषय के अध्यायों के पात्रों की आवृत्ति व प्रतिशत

कक्षा	अनु.जाति		अनु.जनजाति		अल्पसंख्यक		पिछडा / सामान्य		विकलांग		योग		योग
	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	
6 th	0	0	0	0	0	7 (13%)	05 (9.3%)	41 (75.9%)	0	01 (1.8%)	05 (9.3%)	49 (90.7%)	54
7 th	0	0	01 (1.1%)	01 (1.1%)	0	7 (8%)	26 (29.6%)	52 (59.1%)	0	01 (1.1%)	27 (30.7%)	61 (69.3%)	88
8 th	0	01 (2.1%)	0	01 (2.1%)	02 (4.2%)	01 (2.1%)	05 (10.4%)	33 (68.7%)	04 (8.3%)	01 (2.1%)	11 (22.9%)	37 (77.1%)	48
कुल योग	0	01 (0.5%)	01 (0.5%)	02 (1%)	02 (1%)	15 (7.9%)	36 (19%)	126 (66.3%)	04 (2.1%)	03 (1.6%)	43 (22.6%)	147 (77.4%)	190

तालिका 1.1 से विदित होता है कि कक्षा छठी के हिन्दी विषय के अध्याय के 54 पात्रों में अनु. जाति, अनु. जनजाति वर्ग का कोई प्रतिनिधित्व नही पाया गया। वही अल्पसंख्यक वर्ग में पात्रों का प्रतिनिधित्व 13% पाया गया, जो केवल पुरुष पात्रों का प्रतिनिधित्व है, महिला पात्रों का प्रतिनिधित्व शून्य पाया गया। इसी प्रकार विकलांग वर्ग में पात्रों का प्रतिनिधित्व 1.8% पाया गया जो केवल पुरुष पात्रों का प्रतिनिधित्व है, महिला पात्रों का प्रतिनिधित्व शून्य पाया गया। सामान्य व अन्य पिछडा वर्ग में पात्रों का प्रतिनिधित्व 85.2% पाया गया, जिसमें पुरुष पात्रों का प्रतिनिधित्व 75.9% व महिला पात्रों का प्रतिनिधित्व 9.3% पाया गया।

तलिका 1.1 से विदित होता है कि कक्षा सातवीं के हिन्दी विषय के अध्यायों के 88 पात्रों में अनु.जाति वर्ग के पात्रों का प्रतिनिधित्व शून्य पाया गया। अनु.जनजाति वर्ग के पात्रों का प्रतिनिधित्व मात्र 2.2% पाया गया इसमें पुरुष पात्रों का प्रतिनिधित्व 1.1% पाया गया व महिला पात्रों का प्रतिनिधित्व 1.1% पाया गया। इसी प्रकार अल्पसंख्यक वर्ग के पात्रों का प्रतिनिधित्व 8% पाया गया, जो केवल पुरुष पात्रों का प्रतिनिधित्व है, महिला पात्रों का प्रतिनिधित्व शून्य पाया गया। इसी प्रकार विकलांग वर्ग के पात्रों का प्रतिनिधित्व मात्र 1.1% पाया गया जो केवल पुरुष पात्रों का है जबकि महिला पात्रों का प्रतिनिधित्च शून्य पाया गया। सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्रों का प्रतिनिधित्व 88.7% पाया गया जिसमें पुरुष वर्ग का प्रतिनिधित्व 59.1% पाया गया व महिला पात्रों का प्रतिनिधित्व 29.6% पाया गया।

तलिका 1.1 से विदित होता है कि कक्षा आठवी के हिन्दी विषय के अध्यायो के 48 पात्रों में अनु.जाति वर्ग के पात्रों का प्रतिनिधित्व मात्र 2.1 % पाया गया जो केवल अनु.जाति के पुरुष पात्रों का है। इसी प्रकार अनु. जनजाति वर्ग के पात्रों का प्रतिनिधित्व भी मात्र 2.1 % पाया गया जो केवल पुरुष पात्रों का है। इसी प्रकार अल्पसंख्यक वर्ग के पात्रों का प्रतिनिधित्व 6.3% पाया गया जिसमें पुरुष पात्रों का प्रतिनिधित्व 2.1% पाया गया तथा महिला पात्रों का प्रतिनिधित्व 4.2% पाया गया। वहीं विकलांग पात्रों का प्रतिनिधित्व 10.4% पाया गया जिसमें पुरुष पात्रों का प्रतिनिधित्व 8.3% पाया गया व महिला प्रतिनिधित्व 2.1% पाया गया। इसी प्रकार सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्रों का प्रतिनिधित्व 79.1% पाया गया जिसमें पुरुष पात्रों का प्रतिनिधित्व 68.7% पाया गया व महिला पात्रों का प्रतिनिधित्व 10.4% पाया गया।

तालिका 1.1 से यह भी विदित होता है कि छठी, सातवी व आठवी की हिन्दी विषय की पाठ्यपुस्तको के अध्यायों कुल 190 पात्रों का वर्गवार विश्लेषण कर पाया कि अनु.जाति वर्ग के पात्रों का प्रतिनिधित्व मात्र 0.5% पाया गया जो केवल अनु.जाति के पुरुष पात्रों का है। अनु. जनजाति वर्ग के पात्रों का प्रतिनिधित्व मात्र 1.5% पाया गया जिसमें अनु.जाति के पुरुष पात्रों का प्रतिनिधित्व 1% व महिला पात्रों का प्रतिनिधित्व 0.5% पाया गया। इसी प्रकार अल्पसख्यक के पात्रों का प्रतिनिधित्व 8.9% पाया गया जिसमें पुरुष पात्रों का प्रतिनिधित्व 7.9% पाया गया व महिला पात्रों का प्रतिनिधित्व 1% पाया गया। इसी प्रकार विकलांग वर्ग के पात्रों का प्रतिनिधित्व 3.7% पाया गया जिसमें पुरुष पात्रों का प्रतिनिधित्व 1.6% पाया गया व महिला पात्रों का प्रतिनिधित्व 2.1% पाया गया। सामान्य व अन्य पिछडा वर्ग के पात्रों का प्रतिनिधित्व 85.3% पाया गया जिसमें पुरुष पात्रों का प्रतिनिधित्व 66.3% पाया गया व महिला पात्रों का प्रतिनिधित्व 19% पाया गया जो सबसे अधिक है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि–कक्षा 6वीं, 7वीं व 8वीं की हिन्दी पाठ्यपुस्तकों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं विकलांग वर्ग के पात्रों के वर्गवार प्रतिनिधित्व को समग्रता से अवलोकन करने पर पाया गया कि तीनों कक्षाओं में हिन्दी विषयों की पाठ्यपुस्तकों में कुल 190 पात्रों का चित्रण किया गया है। जिसमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग वर्ग के पात्रों का प्रतिनिधित्व न के बराबर पाया गया।

अल्पसंख्यक वर्ग के पात्रों का प्रतिनिधित्व 8.9% पाया गया। इसी प्रकार विकलांग वर्ग में पात्रों का प्रतिनिधित्व 3.7% पाया गया। सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्रों का प्रतिनिधित्व 85.3% पाया गया जो सबसे अधिक है।

1.8.2 माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों की पाठ्यसामग्री में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों एवं विकलांगों का प्रतिनिधित्व–

प्रस्तुत शोध का द्वितीय उद्देश्य था–'माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों की पाठ्यसामग्री में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों एवं विकलांगों के प्रतिनिधित्व का अध्ययन करना।' इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु शोधार्थी द्वारा मध्यप्रदेश में माध्यमिक स्तर की कक्षा 6वीं, 7वीं व 8वीं में सत्र 2018-19 के दौरान पढ़ाई गई सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों का विश्लेषण किया गया। तालिका 1.2 में नीचे कक्षा 6वीं, 7वीं व 8वीं की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों की पाठों की विषयवस्तु में वर्णित विभिन्न पात्रों की कक्षा, वर्ग व लिंगवार आवृत्ति व प्रतिशत प्रस्तुत किया गया है–

तालिका 1.2 कक्षा, वर्ग व लिंगवार सामाजिक विज्ञान विषय के अध्यायों के पात्रों की आवृत्ति व प्रतिशत

कक्षा	अनु.जाति		अनु.जनजाति		अल्पसंख्यक		पिछडा/सामान्य		विकलांग		योग		कुल योग
	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	
6 th	0	1 (1%)	0	1 (1%)	3 (3%)	30 (30.1%)	3 (3%)	61 (61.6%)	0	0	06 (6%)	93 (94%)	99
7 th	0	02 (1%)	01 (0.5%)	1 (0.5%)	11 (5.3%)	82 (39.6%)	7 (3.4%)	103 (49.7%)	0	0	19 (9.2%)	188 (90.8%)	207
8 th	0	02 (0.9%)	0	09 (3.9%)	08 (3.5%)	90 (39%)	05 (2.2%)	117 (50.5%)	0	0	13 (5.7%)	218 (94.3%)	231
योग	0	05 (0.9%)	01 (0.2%)	11 (2%)	22 (4.1%)	202 (37.6%)	15 (2.8%)	281 (52.4%)	0	0	38 (7.1%)	499 (92.9%)	537

तालिका 1.2 से विदित होता है, कि कक्षा छठवीं के सामाजिक विज्ञान के अध्यायों के 99 पात्रों में विकलांग वर्ग का कोई प्रतिनिधित्व नही पाया गया। अनु. जाति, अनु. जनजाति वर्ग के पात्रों का प्रतिनिधित्व केवल एक–एक प्रतिशत ही पाया गया। वहीं अल्पसंख्यक वर्ग में पात्रों का प्रतिनिधित्व 33.1% पाया गया, जिसमें इस वर्ग के महिला पात्रों का प्रतिनिधित्व 3% व पुरुष वर्ग पात्रों का प्रतिनिधित्व 30.1% पाया गया। पिछड़ा व सामान्य वर्ग के पात्रों का प्रतिनिधित्व 61.9% पाया गया, जिसमें इस वर्ग के महिला वर्ग के पात्रों का प्रतिनिधित्व 3% व पुरुष वर्ग पात्रों का प्रतिनिधित्व 61.6% पाया गया।

तालिका 1.2 से विदित होता है, कि कक्षा सातवीं के सामाजिक विज्ञान के अध्याय के 207 पात्रों में अनु. जाति वर्ग का प्रतिनिधित्व 1% पाया गया। जिसमें इस वर्ग के महिला पात्रों का प्रतिनिधित्व शून्य व पुरुष वर्ग पात्रों का प्रतिनिधित्व 1% पाया गया। वहीं अनु. जनजाति वर्ग के पात्रों का 1% पाया गया, जिसमें इस वर्ग के महिला पात्रों का प्रतिनिधित्व 0.5% व पुरुष वर्ग पात्रों का प्रतिनिधित्व 0.5% पाया गया। वहीं अल्पसंख्यक वर्ग के पात्रों का प्रतिनिधित्व 44.9% पाया गया, जिसमें इस वर्ग के महिला वर्ग के पात्रों का प्रतिनिधित्व 5.3% व पुरुष वर्ग के पात्रों का प्रतिनिधित्व 39.6% पाया गया। वहीं पिछड़ा एवं सामान्य वर्ग के पात्रों का प्रतिनिधित्व 53.1% पाया गया, जिसमें इस वर्ग के महिला वर्ग के पात्रों का प्रतिनिधित्व 3.4% व पुरुष वर्ग पात्रों का प्रतिनिधित्व 49.7% पाया गया।

तालिका 1.2 से विदित होता है, कि कक्षा आठवीं के सामाजिक विज्ञान के अध्याय के 231 पात्रों में अनु. जाति वर्ग का प्रतिनिधित्व 0.9% पाया गया। जिसमें इस वर्ग के महिला पात्रों का प्रतिनिधित्व शून्य व पुरुष वर्ग के पात्रों का प्रतिनिधित्व 0.9% पाया गया। अनु. जनजाति वर्ग के पात्रों का प्रतिनिधित्व 3.9% पाया गया, जिसमें इस वर्ग के महिला पात्रों का प्रतिनिधित्व शून्य व पुरुष वर्ग पात्रों का प्रतिनिधित्व 3.9% पाया गया। वहीं अल्पसंख्यक वर्ग के पात्रों का प्रतिनिधित्व 42.5% पाया गया। जिसमें इस वर्ग के महिला पात्रों का प्रतिनिधित्व 3.5% व पुरुष वर्ग पात्रों का प्रतिनिधित्व 39% पाया गया। वहीं पिछड़ा एवं सामान्य वर्ग के पात्रों का प्रतिनिधित्व 52.7% पाया गया, जिसमें इस वर्ग के महिला वर्ग के पात्रों का प्रतिनिधित्व 2.2% व पुरुष वर्ग पात्रों का

प्रतिनिधित्व 50.5% पाया गया। कक्षा आठवीं के सामाजिक विज्ञान के अध्याय के 231 पात्रों में विकलांग वर्ग के पात्रों का प्रतिनिधित्व शून्य रहा।

तालिका 1.2 से विदित होता है, कि कक्षा छठी, सातवी एवं आठवीं के सामाजिक विज्ञान के अध्याय के 537 पात्रों में अनु. जाति वर्ग का प्रतिनिधित्व 0.9% पाया गया। जिसमें इस वर्ग के महिला पात्रों का प्रतिनिधित्व शून्य व पुरुष पात्रों का प्रतिनिधित्व 0.9% पाया गया। वहीं अनु. जनजाति वर्ग के पात्रों का 2.2% पाया गया, जिसमें इस वर्ग के महिला पात्रों का प्रतिनिधित्व 0.2% व पुरुष वर्ग पात्रों का प्रतिनिधित्व 2% पाया गया। वहीं अल्पसंख्यक वर्ग के पात्रों का प्रतिनिधित्व 41.7% पाया गया, जिसमें इस वर्ग के महिला पात्रों का प्रतिनिधित्व 4. 1% व पुरुष पात्रों का प्रतिनिधित्व 37.6% पाया गया। वहीं पिछड़ा एवं सामान्य वर्ग के पात्रों का प्रतिनिधित्व 55. 2% पाया गया, जिसमें इस वर्ग की महिला वर्ग के पात्रों का प्रतिनिधित्व 2.8% व पुरुष वर्ग पात्रों का प्रतिनिधित्व 52.4% पाया गया।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि–कक्षा 6वीं, 7वीं व 8वीं की विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं विकलांग वर्ग के पात्रों के वर्गवार प्रतिनिधित्व को समग्रता से अवलोकन करने पर पाया गया कि तीनों कक्षाओं में सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में कुल 537 पात्रों का चित्रण किया गया है। जिसमें विकलांग वर्ग में पात्रों का प्रतिनिधित्व शून्य पाया गया। अनुसूचित जाति वर्ग के पात्रों का प्रतिनिधित्व भी लगभग एक प्रतिशत ही पाया गया। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति वर्ग के पात्रों का प्रतिनिधित्व भी लगभग दो प्रतिशत ही पाया गया। अल्पसंख्यक वर्ग के पात्रों का प्रतिनिधित्व लगभग 42 प्रतिशत पाया गया। सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्रों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक लगभग 55 प्रतिशत पाया गया।

1.9. अध्ययन के निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध से प्राप्त निष्कर्षों को नीचे प्रस्तुत किया गया है –

- तीनों कक्षाओं में सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों की रचना प्रक्रिया में रचनाकार, स्थायी समिति के सदस्यों व अन्य विशेषज्ञों के रूप में विभिन्न वर्गों के 101 विशेषज्ञों द्वारा सहयोग प्रदान किया गया है। जिसमें अनुसूचित जाति तथा विकलांग वर्ग के रचनाकारों का प्रतिनिधित्व शून्य पाया गया। वहीं अनुसूचित जनजाति वर्ग के रचनाकारों का प्रतिनिधित्व 01 प्रतिशत पाया गया। इसी प्रकार अल्पसंख्यक वर्ग के रचनाकारों का प्रतिनिधित्व 05 प्रतिशत पाया गया। सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग के रचनाकारों का प्रतिनिधित्व बहुत अधिक 94 प्रतिशत पाया गया।
- सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में कुल 537 पात्रों का चित्रण किया गया है। जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग के पात्रों का प्रतिनिधित्व लगभग 0.9 प्रतिशत है। वहीं अनुसूचित जनजाति वर्ग के पात्रों का प्रतिनिधित्व लगभग 2.2 प्रतिशत पाया गया। अल्पसंख्यक वर्ग के पात्रों का प्रतिनिधित्व लगभग 42 प्रतिशत पाया गया। इसी प्रकार सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्रों का प्रतिनिधित्व अल्पसंख्यक वर्ग के पात्रों से अधिक लगभग 55 प्रतिशत पाया गया। जबकि पाठ्यपुस्तकों की विषयवस्तु में विकलांग वर्ग का प्रतिनिधित्व शून्य पाया गया। अर्थात स्पष्ट है कि तीनों कक्षाओं में सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों की विषयवस्तु में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व विकलांग वर्ग का प्रतिनिधित्व नगण्य है।

1.10.शैक्षिक निहितार्थ

प्रस्तुत शोध के निष्कर्षों से यह विदित होता है, कि मध्यप्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, भोपाल तथा मध्यप्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र, भोपाल द्वारा प्रकाशित माध्यमिक स्तर की कक्षा 6ठी, 7वीं व 8वीं की हिन्दी की पाठ्यपुस्तकों की विषयवस्तु में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व विकलांग वर्गों का प्रतिनिधित्व भी अत्यन्त कम पाया गया है। शिक्षा के क्षेत्र मे कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए वर्तमान शोध का महत्वपूर्ण उपयोग है। प्रस्तुत शोध का उपयोग कर शैक्षिक प्रशासक/ नीतिकार, पाठ्यक्रम निर्माणकर्ता, पाठ्यपुस्तक लेखन से संबन्धित विशेषज्ञ व पाठ्यपुस्तक मूल्यांकनकर्ता आदि मार्गदर्शन ले सकते हैं। इनके लिए शोध के शैक्षिक निहितार्थ निम्न हैं–

अ. शैक्षिक प्रशासक/ नीतिकार – शोध से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर पाठ्यक्रम निर्धारकों से यह अपेक्षा की जा सकती है, कि माध्यमिक स्तर कक्षा 6ठी, 7वीं व 8वीं की हिन्दी व सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों की विषयवस्तु में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक व विकलांग वर्गों से सम्बन्धित विषयवस्तु का पुनर्निर्धारण व पुनर्गठन किया जाए जिसमें इन से संबन्धित विषयवस्तु को स्थान दिया जाए। अतः इन पाठ्यपुस्तकों के पाठ्यक्रम निर्धारकों की अगामी योजना हेतु यह शोध उन्हें मार्गदर्शन प्रदान कर सकेगा।

ब. पाठ्यक्रम निर्माणकर्ता – प्रस्तुत शोध के निष्कर्ष, पाठ्यक्रम निर्माणकर्ताओं के लिए माध्यमिक स्तर की कक्षा 6ठी, 7वीं व 8वीं की हिन्दी व सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों के पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया में सहायक हो सकते हैं। इन पाठ्यपुस्तकों में सम्मिलित विषयवस्तु में इन वर्गों से संबन्धित प्रकरणों का समावेश कर इन वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति आकर्षित किया जा सकता है।

स. पाठ्यपुस्तक लेखन – प्रस्तुत शोध के निष्कर्ष, माध्यमिक स्तर की कक्षा 6ठी, 7वीं व 8वीं की हिन्दी व सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों के लेखकों के लिए भी महत्वपूर्ण दिशा प्रदान कर सकता है। लेखकगण पाठ्यपुस्तक के पाठों की विषयवस्तु में इन वर्गों से संबन्धित प्रसंगों को सम्मिलित कर सकते हैं जिसमें इन वर्गों के पात्रों के व्यक्तित्व, विचार, प्रेरक प्रसंगों, समाज व देशहित के कार्यों, समस्याओं व उनके समाधानों, भविष्य के अवसरों आदि का प्रभावी चित्रण हो।

द. पाठ्यपुस्तक मूल्यांकनकर्ता/समिति – प्रस्तुत शोध निष्कर्ष पाठ्यपुस्तक मूल्यांकनकर्ताओं के लिए भी उपयोगी है। शोध के निष्कर्षों से विदित होता है कि हिन्दी व सामाजिक विज्ञान की वर्तमान पाठ्यपुस्तकों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक व विकलांग वर्गों से संबन्धित प्रसंगों का समावेश नहीं किया गया है। प्रस्तुत शोध निष्कर्ष पाठ्यपुस्तक मूल्यांकनकर्ताओं को इन बिन्दुओं के आधार पर पाठ्यपुस्तकों का मूल्यांकन करने में सहयोग प्रदान करेंगे।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. गुप्ता, एम.एल. एवं शर्मा, डी.डी.(2009). सामाजिक मानवशास्त्र. साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा.
2. पाल, एच.आर. एवं पाल, आर.(2006). पाठ्यचर्या – कल, आज और कल. शिप्रा प्रकाशन, दिल्ली.
3. पिपरइया, एल (1989). माध्यमिक स्तर की भाषा एवं सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों में महिलाओं की स्थिति. अप्रकाशित एम.एड. लघु शोध, दे.अ.वि.वि.,इन्दौर.
4. मदान, पी. (2009). उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक. अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा.
5. मुकर्जी, आर.एन. (2012). भारतीय समाज एवं संस्कृति. विवेक प्रकाशन, दिल्ली.
6. यादव, एस.(1988). धर्म निरपेक्षता और भारतीय परम्परा. नार्दर्न बुक सेन्टर, नई दिल्ली.
7. सिंह, व्ही. (2002). भाषा एवं सामाजिक अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में महिलाओं की स्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन. अप्रकाशित एम.एड. लघु शोध, दे.अ.वि.वि.,इन्दौर.
8. Aggrawal, I.G.(1986). The Progress of Education in India. Arya Book Depot, New Delhi.
9. Agrawal, S. P. (2002). Development of Education in India. Vol.-V, Concept Publishing Company, New Delhi.
10. Bhatt, D. B. (2006). Curriculum Reforms - Change and Continuity. Kanishka Publishers, New Delhi.
11. Muttali, B.(1989). Voluntary Action in Education. Sterling Publishers, New Delhi.
12. NCERT (2006). Sixth Survey of Research in Education. Vol I, National Council of Educational Research & Training, New Delhi .
13. NCERT(2007). Sixth Survey of Research in Education. Vol II, National Council of Educational Research & Training, New Delhi .
14. Pal, H. R.(1981). Curriculum Construction for Developing Social Skills in Teachers for Establishing Closer Contact with Community. Unpublished Ph. D. (Edu.) Thesis, Indore University, Indore.